

“इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश के जोखिम को पॉलिसी धारक द्वारा वहन किया जाता है।”

# बढ़ाएं अपना निवेश प्रतिफल



यूआइएन: 512L354V01 | प्लान नं.: 873



ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

अपने बाज़ार निवेश में शामिल करें जीवन बीमा सुरक्षा के फ़ायदे

एक युनिट लिंकड, असहभागी, वैयक्तिक जीवन बीमा योजना

- ₹2,500/- की न्यूनतम मासिक प्रीमियम से शुरूआत करें
- दो फंड्स के विकल्प - निफ्टी 50 (फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड) या निफ्टी 100 (फ्लैक्सी ग्रोथ फंड) के चुनिंदा स्टॉक्स में 100% तक निवेश
- गारंटीड एडीशन्स के साथ



\*नियम व शर्तें लागत

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें

LIC मोबाइल ऐप  
डाउनलोड करें



विज़िट करें: licindia.in



कॉल सेन्टर सर्विस  
(022) 6827 6827

हमारा वॉट्सऐप नं.  
**8976862090**

कहिए  
**'Hi'**

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

LIC/R1/2023-24/21/SB

## एलआईसी का इंडेक्स प्लस (यूआईएन: 512L xxx V01) (एक यूनिट फंड, असहभागी, व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना)

इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफोलियो में निवेश का जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाता है।

यूनिट फंड बीमा उत्पाद अनुबंध के पहले पाँच वर्षों के दौरान कोई नकदीकरण प्रदान नहीं करते। पॉलिसीधारक यूनिट फंड बीमा उत्पादों में निवेशित धनराशि को पांचवें वर्ष की समाप्ति तक पूर्णतया या आंशिक रूप से समर्पित करने या निकालने में सक्षम नहीं होगा।

एलआईसी का इंडेक्स प्लस एक यूनिट फंड, असहभागी, नियमित प्रीमियम, व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना है जो पॉलिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान जीवन बीमा सुरक्षा और बचत प्रदान करता है।

एलआईसी का इंडेक्स प्लस एक असहभागी उत्पाद है और इसीलिए पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी अधिशेष (लाभ) में किसी भी हिस्सेदारी के लिए पात्र नहीं है।

यह योजना लाइसेंसधारी एजेंटों, कॉर्पोरेट एजेंटों, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म तथा वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in) के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।

### मुख्य विशेषताएँ:

- लाभ:
  - संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमा सुरक्षा।
  - जीवन बीमा सुरक्षा के संबंध में मृत्यु दर प्रभारों की वापसी जो नीचे परिच्छेद 2 में दिए अनुसार परिपक्ता तक जीवित रहने पर मृत्यु दर प्रभारों पर लगाए गए जोखिमांकन निर्णय और कर प्रभारों के कारण पॉलिसी के अंतर्गत देय कोई अतिरिक्त राशि को छोड़कर है।
  - गारंटीशुदा अभिवृद्धियाँ वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में निर्धारित पॉलिसी अवधियों के अंत में यूनिट फंड में जोड़ी जाएंगी और उनका उपयोग यूनिटों की खरीदारी के लिए किया जाएगा।
- चुनने की विकल्प:
  - आपकी जोखिम वहन क्षमता के अनुसार प्रीमियमों का निवेश करने के लिए निवेश फंड का प्रकार।
  - वार्षिकीकृत प्रीमियम के 7 या 10 गुना के रूप में मूल बीमा राशि जो निम्न परिच्छेद 1 में वर्णित प्रवेश पर आयु के अधीन है।
  - देय प्रीमियम राशि, पॉलिसी अवधि निम्न परिच्छेद 1 में वर्णित न्यूनतम और अधिकतम प्रीमियम की सीमाओं, पॉलिसी अवधि और परिपक्ता आयु के अधीन है।
  - मृत्यु हितलाभ के निपटान की विधि एकमुश्त रूप में या किस्तों में।
- निम्न परिच्छेद 4 में उल्लेख के अनुसार नकदीकरण की आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए आंशिक निकासियों की अनुमति है।
- एलआईसी का संबद्ध दुर्घटना हितलाभ राइडर का चयन करके कवरेज को बढ़ाने का विकल्प।

### 1. पात्रता की शर्तें और अन्य निर्बंध:

i	मूल बीमा राशि	प्रवेश पर आयु	मूल बीमा राशि
		[90] दिन (पूर्ण) से [50] वर्ष तक (निकटतम जन्मतिथि)	<ul style="list-style-type: none"><li>• वार्षिकीकृत प्रीमियम का 7 गुना या</li><li>• वार्षिकीकृत प्रीमियम का 10 गुना</li></ul>
		[51] वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) से [60] वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) तक	वार्षिकीकृत प्रीमियम का 7 गुना

ii	न्यूनतम प्रीमियम	विधि/प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति	राशि (रु में)	
		वार्षिक	30,000/-	
		अर्ध-वार्षिक	15,000/-	
		त्रैमासिक	7,500/-	
		मासिक (एनएसीएच)	2,500/-	
		वार्षिक विधि के लिए प्रीमियम रु. 1000 के गुणकों में होगा, अर्ध वार्षिक के लिए रु. 500 और त्रैमासिक तथा मासिक (एनएसीएच) के लिए रु. 250 के गुणकों में होगा।		
iii	अधिकतम प्रीमियम	अधिकतम प्रीमियम – कोई सीमा नहीं। हर व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम प्रीमियम बोर्ड मान्य जोखिमांकन नीति के अनुसार जोखिमांकन के निर्णय के अधीन होगा।		
iv	प्रवेश पर न्यूनतम आयु	(90) दिन (पूर्ण)		
v	प्रवेश पर अधिकतम आयु	मूल बीमा राशि वार्षिकीकृत प्रीमियम का 10 गुना वार्षिकीकृत प्रीमियम का 7 गुना	प्रवेश पर अधिकतम आयु [50] वर्ष (निकटतम जन्म तिथि) [60] वर्ष (निकटतम जन्म तिथि)	
vi	न्यूनतम और अधिकतम पॉलिसी अवधि	वार्षिकीकृत प्रीमियम रु. 48,000 से कम रु. 48,000 और अधिक	न्यूनतम अवधि 15 10	अधिकतम अवधि 25 25
vii	प्रीमियम भुगतान अवधि	पॉलिसी अवधि के समान		
viii	प्रीमियम भुगतान विधि	वार्षिक/अर्ध वार्षिक/त्रैमासिक/मासिक (एनएसीएच)		
ix	न्यूनतम परिपक्वता आयु	[18] वर्ष (पूर्ण)		
x	अधिकतम परिपक्वता आयु	मूल बीमा राशि वार्षिकीकृत प्रीमियम का 7 गुना वार्षिकीकृत प्रीमियम का 10 गुना	अधिकतम परिपक्वता आयु 85 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि) 75 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)	

#### योजना के अंतर्गत जोखिम आरंभ की तिथि:

यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश पर आयु 8 वर्ष से कम है तो इस योजना के अंतर्गत जोखिम का आरंभ या तो पॉलिसी के आरंभ तिथि से 2 वर्ष की पूर्णता पर होगा या 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने के साथ आने वाली या तुरंत उसके बाद की पॉलिसी वर्षगांठ, जो भी पहले हो, पर होगा। यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश पर आयु 8 वर्ष या अधिक है तो जोखिम का आरंभ जोखिमांकन स्वीकृति की तिथि यानी पॉलिसी के आरंभ तिथि से तुरंत होगा।

#### निहित अवधि:

यदि पॉलिसी अवयस्क के जीवन पर जारी की जाती है तो पॉलिसी अपने आप ऐसे निहित तिथि

यानी 18 वर्ष की पूर्णता के साथ या तुरंत बाद आनेवाली पॉलिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति में अपने आप निहित हो जाएगी और निहित होने की ऐसी तिथि पर अनुबंध निगम तथा बीमित व्यक्ति के बीच माना जाएगा।

## 2. पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ:

ए) मृत्यु हितलाभ: परिपक्वता तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर (अनुग्रह अवधि के दौरान सहित), बशर्ते पॉलिसी चालू हो, तो

जोखिम आरंभ की तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर: मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुसार यूनिट फंड मूल्य के बराबर राशि देय होगी।

जोखिम आरंभ की तिथि के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर: निम्नलिखित में से उच्चतम के बराबर राशि देय होगी

- मृत्यु की तिथि से तुरंत पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासियों, यदि हो, को मूल बीमित राशि में से घटाकर आई राशि; या,
- मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुसार यूनिट फंड मूल्य; या
- मृत्यु की तिथि से तुरंत पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासियों, यदि हो, को मृत्यु की तिथि तक प्राप्त कुल प्रीमियमों का 105% में से घटाकर आई राशि।

जहाँ मूल बीमित राशि और आंशिक निकासी क्रमशः परिच्छेद 1.I और परिच्छेद 4.II के अनुसार हैं।

मृत्यु की तिथि के बाद वसूला गया मृत्यु दर प्रभार, दुर्घटना हितलाभ प्रभार, पॉलिसी प्रशासन प्रभार और उस पर कर प्रभार मृत्यु की सूचना की तिथि पर उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य में फिर से जोड़ दिया जाएगा और उसे नामिती या लाभार्थी को मृत्यु हितलाभ के साथ वापस अदा कर दिया जाएगा।

बाद की तिथि पर कोई भी निश्चित अभिवृद्धि यूनिट फंड से वसूला जाएगा।

पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार परिच्छेद 4.IV में उल्लेख के अनुसार यदि निपटान विकल्प चयनित किया गया है तो मृत्यु हितलाभ उपरोक्त के अनुसार एकमुश्त रूप में या किस्तों में अदा किया जाएगा।

बी) परिपक्वता हितलाभ: परिपक्वता की तिथि पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, परिपक्वता की तिथि के अनुसार यूनिट फंड मूल्य के बराबर राशि देय होगी।

सी) मृत्यु दर प्रभारों की वापसी: पॉलिसी के अंतर्गत सभी नियत प्रीमियम अदा करने के अधीन परिपक्वता के निर्धारित तिथि पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर जीवन बीमा कवर के संबंध में काटी गई मृत्यु दर प्रभारों की कुल राशि के बराबर राशि परिपक्वता लाभ के साथ देय होगी। मृत्यु दर प्रभारों की कुल राशि में जोखिमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत देय कोई भी अतिरिक्त राशि तथा मृत्यु दर प्रभारों, यदि हो, पर लगाए गए कर प्रभार शामिल नहीं होंगे।

अभ्यर्पित या रोकी गई पॉलिसी के मामले में मृत्यु दर प्रभार की वापसी देय नहीं होगी।

## 3. निश्चित अभिवृद्धियां:

निश्चित अभिवृद्धियां केवल चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय होंगे यानी यदि सभी नियत प्रीमियम अदा किए गए हों। निम्न तालिका में उल्लेख के अनुसार एक वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में निश्चित अभिवृद्धियों को पॉलिसी वर्षों की विशेष अवधि की पूर्णता पर यूनिट फंड में जोड़ा जाएगा बशर्ते सभी नियत प्रीमियम अदा किए गए हों और पॉलिसी चालू हो।

पॉलिसी वर्ष का अंत	निश्चित अभिवृद्धियां (एक वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)	
	वार्षिकीकृत प्रीमियम रु. 48,000 से कम	वार्षिकीकृत प्रीमियम रु. 48,000 और अधिक
6	3%	5%
10	6%	10%
15	12%	20%
20	15%	25%
25	18%	30%

प्रीमियम भुगतान की सभी विधियों के लिए 'वार्षिक प्रीमियम' या 'वार्षिकीकृत प्रीमियम' की गणना किस्त (आवधिक) प्रीमियम राशि का एक पॉलिसी वर्ष में प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति में गुणा करके की जाएगी।

आबंटित निश्चित अभिवृद्धियों को यूनिटों की संख्या में रूपांतरित किया जाएगा और उसे निश्चित अभिवृद्धियों के भुगतान के नियत तिथि पर चुने गए फंड प्रकार में जमा कर दिया जाएगा। जो पॉलिसियाँ चालू नहीं हैं लेकिन क्रमिक रूप से पुनर्चलित की जाती हैं, उनके लिए रुकने की तिथि से पुनर्चलन की तिथि तक निश्चित अभिवृद्धियों को पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि पर जमा कर दिया जाएगा।

तथापि, मृत्यु की तिथि के बाद जोड़ी गई किसी भी निश्चित अभिवृद्धियों को यूनिट फंड से वसूला जाएगा।

ध्यान दें: यदि पॉलिसी आंशिक चुकता अवस्था में है तो निश्चित अभिवृद्धियां देय नहीं होगीं।

**विशेष मामले जहाँ निश्चित अभिवृद्धियों को आनुपातिक आधार पर घटाया जाएगा:**

चालू पॉलिसी जहाँ आप द्वारा आंशिक निकासी की सुविधा ली गई है जैसा कि परिच्छेद 4.11 में उल्लिखित है, आंशिक निकासी की तिथि के बाद जोड़े जाने वाली निश्चित अभिवृद्धियों को आनुपातिक आधार पर घटाया जाएगा। ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत हर भावी पॉलिसी वर्ष में निश्चित अभिवृद्धियों की संशोधित दर की गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जाएगी:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(संबंधित वर्ष के लिए लागू निश्चित अभिवृद्धियों की मूल दर)} \\ \text{गुणा (वर्ष के अंत में फंड मूल्य)} \\ \hline \text{(वर्ष के अंत में फंड मूल्य) धन} \\ \text{(कुल आंशिक निकासी की राशि).} \end{array} \right\}$$

#### 4. वैकल्पिक हितलाभ:

##### I. राइडर हितलाभ:

आपके पास एलआईसी का संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर (यूआईएन: 512A211V02) प्राप्त करने का विकल्प है।

इस राइडर को किसी भी पॉलिसी वर्षगांठ पर चुना जा सकता है बशर्ते शेष पॉलिसी अवधि कम से कम 5 वर्ष हो या उस पॉलिसी वर्षगांठ पर या पहले जिस पर बीमित व्यक्ति की आयु निकटतम जन्मदिन पर 65 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ कवर परिपक्षता की तिथि तक या पॉलिसी वर्षगांठ तक उपलब्ध रहेगा जिस पर बीमित व्यक्ति की आयु निकटतम जन्मदिन पर 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो, बशर्ते पॉलिसी दुर्घटना की तिथि पर चालू हो। यदि इस राइडर का चयन किया गया है तो दुर्घटनावश मृत्यु के मामले में दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि एकमुश्त रूप में देय होगी। यह राइडर अल्पवयस्क के जीवन पर बीमित व्यक्ति की अव्यस्कता के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होगा। दुर्घटनावश हितलाभ बीमित राशि मूल बीमित राशि से अधिक नहीं हो सकती।

उपरोक्त राइडर पर अधिक विवरणों के लिए, राइडर विवरणिका पढ़ें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

## **II. आंशिक निकासियाँ:**

आप 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद किसी भी समय यूनिटों की आंशिक निकासी कर सकते हैं (यानी पॉलिसी आरंभ होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि) जो निम्नलिखित के अधीन है:

- i. अव्यस्कों के मामले में, आंशिक निकासियों की अनुमति बीमित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या अधिक होने के बाद ही होगी।
- ii. आंशिक निकासियाँ निश्चित राशि के रूप में या यूनिटों की निश्चित संख्या के रूप में हो सकती हैं।
- iii. हर पॉलिसी वर्ष के दौरान फंड के प्रतिशत के रूप में आंशिक निकासी की अधिकतम राशि नीचे दिए अनुसार होगी:

पॉलिसी वर्ष	यूनिट फंड का प्रतिशत
6वें से 10वाँ	20%
11वें से 15वाँ	25%
16वें से 20वाँ	30%
21वें से 25वाँ	35%

उपरोक्त आंशिक निकासी की अनुमति रु. 48,000 से कम के वार्षिक प्रीमियम के लिए आंशिक निकासी के बाद न्यूनतम शेष बैलेंस कम से कम 4 वार्षिकीकृत प्रीमियम होने पर दी जाएगी और अन्य सभी मामलों में कम से कम 3 वार्षिकीकृत प्रीमियम होने पर दी जाएगी। जिन आंशिक निकासियों के कारण अनुबंध का निरस्तीकरण हो सकता है, उनके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

- iv. परिच्छेद 9.जी में वर्णन के अनुसार आंशिक निकासी प्रभार को यूनिट फंड मूल्य से कटा जाएगा।
- v. आंशिक निकासी की तिथि के बाद जोड़ी जाने वाली निश्चित अभिवृद्धियों को परिच्छेद 3 में दिए अनुसार आनुपातिक आधार पर घटाया जाएगा।

यदि आंशिक निकासी की गई है तो निकासी की तिथि से पहले के दो वर्षों की अवधि के लिए मूल बीमित राशि या चुकता बीमित राशि, जो भी लागू हो, को आंशिक निकासियों की राशि की सीमा तक घटा दिया जाएगा। निकासी की तिथि से दो वर्ष की अवधि की पूर्णता पर वास्तविक मूल बीमित राशि/ चुकता बीमित राशि को पुनर्स्थापित किया जाएगा।

## **III. बदली करना:**

आपको पॉलिसी अवधि के दौरान परिच्छेद 7 में दिए अनुसार दो फंड प्रकारों के बीच बदली करने का विकल्प है। बदली करने पर, संपूर्ण फंड मूल्य को चयनित नए फंड मूल्य में बदल दिया जाएगा। दिए गए पॉलिसी वर्ष के दौरान, चार बदलियाँ निःशुल्क करने की अनुमति होगी। क्रमिक बदलियाँ परिच्छेद 9 एफ में दिए अनुसार रु. 100 प्रति बदली के बदली प्रभार के अधीन हैं।

## **IV. चुकता विकल्प:**

यह विकल्प किस्तों में मृत्यु हितलाभ पाने के लिए है। इस विकल्प का उपयोग बीमित व्यक्ति की अव्यस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष और अधिक आयु के बीमित व्यक्ति पॉलिसी चालू रहने पर संपूर्ण जीवन भर मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ लिखित रूप में बीमित व्यक्ति की मृत्यु की सूचना की तिथि से 5 वर्ष से अधिक की अवधि में नामिती को मृत्यु हितलाभ भुगतान की विधि (यानी वार्षिक, अर्ध वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक) का उल्लेख करते हुए कर सकता है। तब प्रयुक्त विकल्प के अनुसार नामिती को मृत्यु दावा राशि अदा की जाएगी और किसी भी प्रकार का बदलाव नामिती द्वारा करने की अनुमति नहीं होगी।

ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत यूनिट फंड मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुसार मौजूदा फंड प्रकार के अनुसार निवेशित किया जाना जारी रहेगा।

हर किस्त (यूनिटों की संख्या में) मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुसार यूनिटों की कुल संख्या में किस्तों की कुल संख्या (यानी 5, 10, 20 और 60 क्रमशः वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक किस्तों के लिए 5 वर्ष की अवधि में) से भाग देकर आई राशि होगी। हर किस्त के संदर्भ में हासिल की गई यूनिटों में किस्त भुगतान की तिथि के अनुसार लागू फंड प्रकार के एनएवी द्वारा गुणा करके हर किस्त में अदा की गई राशि की गणना की जाती है। किस्त का भुगतान यूनिट फंड से यूनिटों का मोचन करते हुए किया जाता है। पहला भुगतान मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुसार किया जाएगा और उसके बाद चयनित विधि के आधार पर यानी मृत्यु की तिथि से हर महीने या तीन महीने या छह महीने या वार्षिक रूप से किया जाएगा, जैसी कि स्थिति हो।

चुकता विकल्प अवधि के दौरान फंड प्रबंधन प्रभार के अलावा कोई प्रभार नहीं काटा जाएगा। निर्दिष्ट तिथि पर देय किस्त का मूल्य निवेश जोखिम के अधीन होगा यानी एनएवी फंड के कार्यनिष्पादन के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकता है। चुकता अवधि के दौरान निवेश जोखिम का वहन नामिती/ लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। निपटारा अवधि के दौरान कोई जोखिम कवर या निश्चित हितलाभ नहीं होगा।

निपटारा विकल्प अवधि का आरंभ होने के बाद नामिती की मृत्यु पर, यूनिट फंड में धारित बकाया यूनिटों का मूल्य एकमुश्त रूप में विधिक वारिस को देय होगा।

निपटारा अवधि कायम रहने के दौरान नामिती द्वारा आंशिक निकासी करने या फंड की बदली करने की अनुमति होगी।

## 5. प्रीमियमों का भुगतान:

पॉलिसी की अवधि के दौरान प्रीमियम भुगतान के लिए आप प्रीमियम भुगतान की विधि वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक (केवल एनएसीएच के माध्यम से) के रूप में चुन सकते हैं।

प्रीमियम भुगतान की विधि आरंभ में चुनी जानी चाहिए जब कि उसे पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किसी भी क्रमिक पॉलिसी वर्षगांठ पर (विभिन्न प्रीमियम भुगतान विधियों के बीच) बदला जा सकता है जो ऊपर परिच्छेद 1 के अंतर्गत उल्लेख के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम और प्रीमियम के गुणकों के प्रावधानों के अधीन है।

## 6. अनुग्रह अवधि:

वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियमों के भुगतान के लिए 30 दिन की अनुग्रह अवधि की अनुमति होगी और मासिक (एनएसीएच) प्रीमियमों के लिए 15 दिन होगी।

## 7. फंडों का निवेश:

**यूनिट फंड:** शुरुआत में और बदली करते समय अपने प्रीमियमों का निवेश करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दो में से किसी भी एक फंड को चुनने का विकल्प होगा। अदा किया गया हर प्रीमियम, प्रीमियम आबंटन प्रभार की कटौती के बाद चुने गए फंड प्रकार की यूनिटों को खरीदने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यूनिट फंड यूनिटों की संख्या का निरस्तीकरण या निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का समायोजन करते हुए विभिन्न अन्य प्रभारों की कटौती के अधीन होगा। यूनिटों का मूल्य निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर बढ़ या घट सकता है।

उपलब्ध फंडों के विवरण और मोटे तौर पर उनकी निवेश पद्धति नीचे दिए अनुसार उपलब्ध है:

फंड प्रकार	सरकारी/ सरकारी निश्चित प्रतिभूतियों/ कॉर्पोरेट डेव्ह में निवेश	अल्प-कालिक निवेश जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रॉमेंट्स	सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश	जोखिम/ प्रतिफल के लिए फंड के विवरण और उद्देश्य	जोखिम प्रोफाइल	एसएफआईएन नं.
फ्लेक्सी ग्रोथ फंड	0% से 20%	0% से 40%	40% से 100%	प्रमुख रूप से चुनिंदा शेयरों में निवेश के माध्यम से दीर्घ कालिक पूँजी वर्धन प्रदान करना जो एनएसई निफ्टी 100 का हिस्सा हैं	अत्यंत ऊँचा जोखिम	ULIF00510/11/23 LICULIPFLX512
फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड	0% से 20%	0% से 40%	40% से 100%	प्रमुख रूप से चुनिंदा शेयरों में निवेश के माध्यम से दीर्घ कालिक पूँजी वर्धन प्रदान करना जो एनएसई निफ्टी 50 का हिस्सा हैं	अत्यंत ऊँचा जोखिम	ULIF00610/11/23 LICULIPFSG512

**बंद किये गए पॉलिसी फंड (एसएफआईएन: ULIF001201114LICDPFLNLF512):** बंद किये गए पॉलिसी फंड की निवेश पद्धति निम्नलिखित आस्ति श्रेणियों के साथ यूनिट फंड होगा:

- i) मनी मार्केट इंस्ट्रॉमेंट्स: 0% से 40%
- ii) सरकारी प्रतिभूतियाँ: 60% से 100%

यदि कोई फंड जो इस योजना से संलग्न है और बोर्ड द्वारा स्वीकृत है, मूल परिपत्रक- निवेश के साथ पढ़ते हुए आईआरडीएआई (इनवेस्टमेंट) रेगुलेशन्स, 2016 की अनुसूची 1 के नियम 8 का अनुपालन नहीं करता है तो पॉलिसीधारक को नीचे दिए अनुसार उपलब्ध अन्य फंड में बदलने का विकल्प मुफ्त में दिया जाएगा।

## 1. फंड का नाम: फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, एसएफआईएन नं.: **ULIF00510/11/23 LICULIPFLX512 (अत्यंत ऊँचा जोखिम)**

निम्नलिखित फंड में मुफ्त बदली की अनुमति होगी:

फंड का नाम	एसएफआईएन	जोखिम प्रोफाइल
फ्लेक्स स्मार्ट ग्रोथ फंड	ULIF00610/11/23LICULIPFSG512	अत्यंत ऊँचा जोखिम

## 2. फंड का नाम: फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, एसएफआईएन नं.: **ULIF00610/11/23 LICULIPFSG512 (अत्यंत ऊँचा जोखिम)**

निम्नलिखित फंड में मुफ्त बदली की अनुमति होगी:

फंड का नाम	एसएफआईएन	जोखिम प्रोफाइल
फ्लेक्स ग्रोथ फंड	ULIF00510/11/23 LICULIPFLX512	अत्यंत ऊँचा जोखिम

### फंड समापन:

यद्यपि फंड सतत खुले हैं लेकिन हम आईआरडीएआई से पूर्व स्वीकृति के साथ किसी भी मौजूदा फंड को बंद कर सकते हैं। फंड बंद होने से कम से कम 3 महीने पहले आपको सूचित किया जाएगा। आप इन 3 महीनों के दौरान बदली प्रभारों के बिना अन्य मौजूदा फंड विकल्प में बदली कर सकते हैं। यदि इस अवधि के दौरान आप बदली नहीं करते हैं तो निगम बदली की तिथि के अनुसार एनएवी पर विचार करते हुए यूनिटों को समान आस्ति आबंटन और जोखिम प्रोफाइल वाले किसी अन्य फंड में बदली कर देगा।

## 8. यूनिट मूल्य की गणना करने की पद्धति:

यूनिटों को आबंटन की तिथि के अनुसार संबंधित फंड के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर आबंटित किया जाएगा। इसमें कोई भी बोली प्रस्ताव का फैलाव नहीं है (बोली मूल्य और यूनिटों का प्रस्ताव मूल्य दोनों एनएवी के बराबर होगा)। एनएवी की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और वह निवेश के कार्यनिष्पादन और फंड के हर प्रकार के फंड प्रबंधन प्रभार पर आधारित होगा और इसकी गणना इस प्रकार से होगी:

फंड द्वारा धारित निवेश का बाजार मूल्य + वर्तमान आस्तियों का मूल्य वर्तमान देयताओं और प्रावधानों का मूल्य, यदि हो

मूल्यांकन तिथि पर विद्यमान यूनिटों की संख्या (यूनिटों के निर्माण/मोचन से पूर्व)

जहाँ, मूल्यांकन तिथि एनएवी की गणना का तिथि है।

यूनिट फंड मूल्य प्रभारों की कटौती के अधीन होगा, जैसा कि नीचे परिच्छेद 9 में दिया गया है।

### निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की प्रयोजनीयता:

- विभिन्न लेनदेन के लिए यूनिटों का आबंटन और रिडेम्पशन (मोचन) नीचे वर्णन के अनुसार एनएवी पर होगा:

लेनदेन का प्रकार	लागू एनएवी (जहाँ लेनदेन समय सीमा से पहले प्राप्त होता है)
<p>पहला प्रीमियम प्राप्त होना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ऑफलाइन बिक्री के मामले में: उस स्थान पर सममूल्य पर देय स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जहाँ प्रीमियम प्राप्त किया गया है।</li> <li>ऑनलाइन बिक्री के मामले में: किसी भी डिजिटल भुगतान माध्यम द्वारा</li> </ul>	जोखिम के जाखिमांकन की स्वीकार्यता की तिथि का एनएवी यानी पॉलिसी के आरंभ की तिथि
एनएसीएच या किसी डिजिटल भुगतान माध्यम से प्राप्त नवीनीकरण प्रीमियम।	निर्देश की प्राप्ति की तिथि या लेनदेन पूर्ण होने की तिथि या प्रीमियम की नियत तिथि जो भी बाद में हो, का एनएवी
उस स्थान पर सममूल्य पर देय स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त नवीनीकरण प्रीमियम जहाँ प्रीमियम प्राप्त किया गया है।	हमारे द्वारा इंस्ट्रूमेंट की प्राप्ति की तिथि या प्रीमियम की नियत तिथि, जो भी बाद में हो।
उपलब्ध फंड प्रकारों के बीच आंशिक निकासी, बदली या निशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण	हमारे द्वारा ऑनलाइन या लिखित रूप में निवेदन की प्राप्ति की तिथि का एनएवी
अभ्यर्पण	लिखित रूप में अभ्यर्पण के निवेदन की प्राप्ति की तिथि का एनएवी
मृत्यु दावा	मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ लिखित रूप में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने की तिथि की एनएवी
निश्चित अभिवृद्धियां	आबंटन की तिथि का एनएवी
पुनर्चलन	पुनर्चलन की तिथि के अनुसार एनएवी, जहाँ पुनर्चलन का तिथि जोखिमांकन स्वीकृति मिलने के बाद सभी नियत प्रीमियमों के समायोजन का तिथि है।
निपटान विकल्प	निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान की तिथि का एनएवी।

परिपक्वता लाभ	परिपक्वता की तिथि का एनएवी
समाप्ति (डिस्कन्टिन्युएशन)	समाप्ति की तिथि के अनुसार एनएवी
निरस्तीकरण	निरस्तीकरण की तिथि का एनएवी
पॉलिसी परिवर्तन	पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि का एनएवी

- ii. वर्तमान में, मौजूदा आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार कट ऑफ टाइम दोपहर 3 बजे है और इस संबंध में होनेवाले बदलाव आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार होंगे। नव व्यवसाय के मामले में एनएवी के निर्धारण के लिए दोपहर 3 बजे का कट ऑफ जोखिम स्वीकार्यता की तिथि यानी पॉलिसी आरंभ की तिथि के संदर्भ में होगा।
- iii. यदि निम्न के संदर्भ में लेनदेन का निवेदन कट ऑफ टाइम से पहले मिलता है:
- ए) निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या प्रीमियम संग्रह के लिए अन्य अधिकृत कार्यालय या किसी डिजिटल भुगतान माध्यम द्वारा या एनएसीएच के जरिए प्रीमियम का भुगतान;
  - बी) निगम की सेवादाता शाखा द्वारा अन्य लेनदेन;
  - सी) एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने पर सेवा संबंधी निवेदन का सफल पंजीकरण तो उस दिन का समापन एनएवी लागू होगा।
- iv. यदि निम्न के संदर्भ में लेनदेन का निवेदन कट ऑफ टाइम के बाद प्राप्त होता है:
- ए) निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या प्रीमियम संग्रह के लिए अन्य अधिकृत कार्यालय या किसी डिजिटल भुगतान माध्यम द्वारा या एनएसीएच के जरिए प्रीमियम का भुगतान;
  - बी) निगम की सेवाप्रदत शाखा द्वारा अन्य लेनदेन;
  - सी) एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने पर सेवा संबंधी निवेदन का सफल पंजीकरण अगले व्यावसायिक दिन का समापन एनएवी लागू होगा।
- v. ऑफलाइन बिक्री के मामले में, बैंक पर आहरित सीटीएस 2010 चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अदा प्रीमियम, जो स्थानीय/स्पीड किलयरिंग हाउस में प्रतिभाग लेता है, केवल उसी को स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले चेकों/डिमांड ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## 9. योजना के अंतर्गत प्रभार:

प्रभारों का विवरण (नीचे परिच्छेद 9.1 में वर्णन के अनुसार करों के अधीन) नीचे दिए अनुसार हैं:

- ए) **प्रीमियम आबंटन प्रभार:** यह प्राप्त प्रीमियम के प्रभार के प्रति समायोजित प्रीमियम का प्रतिशत है। आबंटन दर के रूप में ज्ञात अधिशेष प्रीमियम के उस हिस्से को गठित करता है जिसका उपयोग पॉलिसी में चुने गए फंड की यूनिटों को खरीदने के लिए किया गया है।
- किस्त प्रीमियम के % के रूप में आबंटन प्रभार नीचे दिए अनुसार हैं:

प्रीमियम	ऑफलाइन बिक्री	ऑनलाइन बिक्री
1ला वर्ष	8.00%	3.00%
2रे से 5वाँ वर्ष	5.50%	2.00%
उसके बाद	4.00%	1.50%

किस्त प्रीमियम वह है जो पॉलिसीधारक द्वारा चयनित प्रीमियम भुगतान बारंबारता के अनुसार पॉलिसीधारक द्वारा अदा किया जाता है।

प्रीमियम आबंटन प्रभार पर सीमा नीचे दिए गए परिच्छेद 9.एल के अनुसार होगी

- बी) **मृत्यु दर प्रभार:** मृत्यु दर प्रभार जीवन बीमा कवर की लागत है, और यह यूनिट फंड मूल्य से उपयुक्त यूनिटों की संख्या को निरस्त करते हुए हर पॉलिसी महीने के आरंभ में लिया जाएगा। मासिक प्रभार वार्षिक मृत्यु दर प्रभारों का एक बारहमांश होगा। यह प्रभार जोखिम की राशि पर निर्भर होगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान जोखिम की राशि इनमें से उच्चतम होगी

- कार्यरत पॉलिसियों के मामले में मूल बीमित राशि या घटी हुई चुकता
- पॉलिसियों के मामले में चुकता बीमित राशि
- यूनिट फंड मूल्य
- प्राप्त कुल प्रीमियम का 105%

ऋण

- यूनिट फंड मूल्य

यूनिट फंड मूल्य दुर्घटना हितलाभ प्रभारों और दुर्घटना हितलाभ प्रभारों पर कर प्रभार की कटौती के बाद प्रभार की कटौती की तिथि के अनुसार लिया जाएगा और उसकी कटौती केवल तभी होगी जब मूल बीमित राशि/चुकता बीमित राशि, जो भी लागू हो, कटौती की तिथि के अनुसार यूनिट फंड मूल्य से अधिक होगी। प्राप्त कुल प्रीमियम मृत्यु दर प्रभार की कटौती की तिथि के अनुसार विचार में लिया जाएगा।

आंशिक निकासियों के मामले में, मूल बीमित राशि या चुकता बीमित राशि, जो भी लागू हो और प्राप्त कुल प्रीमियमों का 105%, मृत्यु दर प्रभारों की कटौती के तिथि से तुरंत पूर्व की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई सभी आंशिक निकासियों की सीमा तक घटाई जाएगी।

स्वस्थ जीवन के संदर्भ में कुछ आयु वर्गों के लिए मृत्यु दर प्रभार प्रति वर्ष प्रति रु. 1000 की जोखिम राशि की दर नीचे दिए अनुसार है:

आय	25	35	45	50	60
रु.	1.26	1.62	3.48	5.99	15.07

जिन मामलों में पॉलिसी को आंशिक चुकता पॉलिसी में रूपांतरित किया गया है, वहाँ चुकता पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम की राशि के संबंध में मृत्यु दर प्रभार को पहले बकाया प्रीमियम के नियत तिथि के बाद के पॉलिसी माह से काटा जाएगा। पॉलिसी के पुनर्चलन पर, पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम कवर को तुरंत पुनर्स्थापित किया जाएगा और कार्यरत पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम की राशि के संदर्भ में मृत्यु दर प्रभार को अगले पॉलिसी माह के पुनर्चलन तिथि से बीती अवधि के लिए आनुपातिक मृत्यु दर प्रभार के साथ पुनर्चलन की तिथि के बाद के पॉलिसी महीने से काटा जाएगा।

**सी) दुर्घटना हितलाभ प्रभार (यदि एलआईसी के संबद्ध दुर्घटनावश मृत्यु हितलाभ राइडर का चयन किया गया है):**

दुर्घटना हितलाभ प्रभार एलआईसी की संबद्ध दुर्घटनावश मृत्यु हितलाभ राइडर, यदि चुना हो, की लागत है। यह प्रभार पॉलिसी के कार्यरत रहने के दौरान (यानी सभी नियत प्रीमियमों को अदा किया गया हो) हर महीने के आरंभ में यूनिट फंड मूल्य से यूनिटों की उचित संख्या को निरस्त करते हुए लिया जाएगा और रु. 0.40 प्रति हजार दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि प्रति पॉलिसी वर्ष की दर होगा। यदि बीमित व्यक्ति अर्धसैनिक बलों के अलावा किसी पुलिस संस्थान में पुलिस कर्तव्य में संलग्न है और उसने पुलिस कर्तव्य पर रहते हुए यह कवर चुना है तो लेवल वार्षिक प्रभार रु. 0.80 प्रति हजार दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि प्रति पॉलिसी वर्ष की दर पर होगा। मासिक प्रभार वार्षिक दुर्घटना हितलाभ प्रभार का एक बारहमांश होगा।

**डी) फंड प्रबंधन प्रभार -** यह प्रभार आस्तियों के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है और उसे निवल आस्ति मूल्य को समायोजित करते हुए निकाला जाता है। फंड प्रबंधन प्रभार (FMC) नीचे दिए अनुसार होगा:

- कार्यरत पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध दोनों फंड प्रकारों के लिए यूनिट फंड का 1.35% प्र.व. यानी फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड।
- “समाप्त पॉलिसी फंड” के लिए यूनिट फंड का 0.50% प्र.व.

यह प्रभार एनएवी की गणना के समय लगाया जाता है, जो दैनिक आधार पर किया जाएगा। इस तरह से घोषित एनएवी एफएमसी निकाल कर होगा।

**ई) पॉलिसी प्रशासन प्रभार:** यह प्रभार 6ठें पॉलिसी वर्ष से पॉलिसी अवधि के अंत तक नीचे दिए अनुसार हर पॉलिसी महीने के आरंभ में लगाया जाएगा और वह समतुल्य राशि के लिए यूनिटों को निरस्त करते हुए यूनिट फंड मूल्य से अधिकतम रु. 500 प्रति महीने (यानी रु. 6000 प्र.व.) के अधीन होगा।

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी प्रशासन प्रभार
पहले 5 वर्ष	शून्य
वर्ष 6	न्यूनतम (3.25% के एक बारहमांश में वार्षिकीकृत प्रीमियम का गुणा करके आई राशि) या (रु. 125) प्रति महीना
7वें वर्ष के बाद से	5% प्र.व. की दर पर बढ़त के साथ

**एफ) बदली प्रभार-** यह उत्पाद के अंतर्गत उपलब्ध एक अलग फंड से अन्य फंड में धन के स्थानान्तरण करने पर लगाया जानेवाला प्रभार है। प्रभार प्रति बदली, यदि हो, यूनिट फंड मूल्य से यूनिटों की उचित संख्या को निरस्त करते हुए बदली को प्रभावी करते समय लगाया जाएगा। एक पॉलिसी वर्ष में 4 बदलियों की निःशुल्क अनुमति होगी। उस वर्ष में क्रमिक बदलियाँ रु. 100 प्रति बदली के बदली प्रभार के अधीन होंगी।

**जी) आंशिक निकासी प्रभार-** यह प्रभार अनुबंध अवधि के दौरान फंड के हर आंशिक निकासी के समय यूनिट फंड मूल्य पर लगाया जाता है। आंशिक निकासी के तिथि पर यूनिट फंड मूल्य से उचित यूनिटों की संख्या निरस्त करते हुए रु. 100/- की राशि काटी जाएगी।

**एच) समाप्ति प्रभार-** यह पॉलिसी बंद करने की तिथि के अनुसार यूनिट फंड मूल्य में से यूनिटों की उचित संख्या निरस्त करते हुए लगाया जानेवाला प्रभार है। समाप्ति प्रभार नीचे दिए अनुसार लागू है:

जहाँ पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी को समाप्त किया	रु. 50,000 तक के वार्षिकीकृत प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए समाप्ति प्रभार	रु. 50,000 से अधिक के वार्षिकीकृत प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए समाप्ति प्रभार
1	20% में (एपी या एफवी) का गुणा करके आई कमतर राशि जो अधिकतम रु. 3,000 हो	6% में (एपी या एफवी) का गुणा करके आई कमतर राशि जो अधिकतम रु. 6,000 हो
2	15% में (एपी या एफवी) का गुणा करके आई कमतर राशि जो अधिकतम रु. 2,000 हो	4% में (एपी या एफवी) का गुणा करके आई कमतर राशि जो अधिकतम रु. 5,000 हो
3	10% में (एपी या एफवी) का गुणा करके आई कमतर राशि जो अधिकतम रु. 1,500 हो	3% में (एपी या एफवी) का गुणा करके आई कमतर राशि जो अधिकतम रु. 4,000 हो
4	5% में (एपी या एफवी) का गुणा करके आई कमतर राशि जो अधिकतम रु. 1,000 हो	2% में (एपी या एफवी) का गुणा करके आई कमतर राशि जो अधिकतम रु. 2,000 हो
5 और आगे	शून्य	शून्य

जहाँ

एपी - वार्षिकीकृत प्रीमियम

एफवी - पॉलिसी समाप्ति के तिथि पर यूनिट फंड मूल्य

**“पॉलिसी की समाप्ति की तिथि”** वह तिथि होगी जिस पर पॉलिसी को अभ्यर्पित करने के बारे में बीमित व्यक्ति/पॉलिसीधारक से सूचना मिली थी या अनुग्रह अवधि के समाप्न पर (अनुग्रह अवधि के दौरान नियत अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान नहीं होने के मामले में), जो भी पहले हो।

**आई) कर प्रभार -** कर प्रभार, यदि हो, को पॉलिसीधारक के किसी भी संदर्भ के बिना इस संबंध में समय समय पर भारत सरकार या भारत के किसी अन्य सांवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा जारी विद्यमान कर कानून/अधिसूचना के अनुसार कर की दर पर इस योजना के लिए लागू सभी या कोई लागू प्रभार पर लगाया जाएगा।

**जे) अन्य प्रभार -** यह प्रभार अनुबंध के दौरान किसी बदलाव के लिए लगाया जाता है जैसे कि प्रीमियम की पद्धति में बदलाव और पॉलिसी जारी करने के बाद दुर्घटना हितलाभ राइडर देना, और यह सीधे रु. 100 होगा जिसे यूनिट फंड मूल्य से यूनिटों की उचित संख्या निरस्त करते हुए काट लिया जाएगा और यह कटौती पॉलिसी में बदलाव के तिथि पर की जाएगी।

**के) बोली प्रस्ताव का फैलाव:** शून्य

**एल) प्रभारों में संशोधन का अधिकार:** निगम के पास मृत्यु दर प्रभार और दुर्घटना हितलाभ प्रभार को छोड़कर उपरोक्त सभी या किसी भी प्रभार को संशोधित करने का अधिक सुरक्षित है। प्रभारों में संशोधन आईआरडीएआई की पूर्व स्वीकृति के साथ और पॉलिसीधारकों को 3 महीने की सूचना देकर संभावित रूप से प्रभावी किया जाएगा जिसकी सूचना हमारी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

यद्यपि ये प्रभार समीक्षा योग्य हैं लेकिन वे समय समय पर आईआरडीएआई द्वारा घोषित अधिक प्रभारों के अधीन होंगे। प्रभारों पर वर्तमान सीमा नीचे दिए अनुसार है:

- किसी भी वर्ष में प्रीमियम आबंटन प्रभार वार्षिकीकृत प्रीमियम के 12.5% से अधिक नहीं होगा।
- पॉलिसी प्रशासन प्रभार रु. 500 प्रति महीना से अधिक नहीं होगा।
- फंड प्रबंधन प्रभार आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा जो वर्तमान में उपरोक्त परिच्छेद 9 (डी) के समान है।
- आंशिक निकासी प्रभार हर निकासी पर रु. 500 से अधिक नहीं होगा।
- बदली प्रभार रु. 500 प्रति बदली से अधिक नहीं होगा।
- समाप्ति पर प्रभार आईआरडीएआई द्वारा निर्देशित सीमाओं से अधिक नहीं होगा, जो वर्तमान में उपरोक्त परिच्छेद 9(एच) के तहत निर्दिष्ट हैं।
- जब बदलाव का निवेदन किया जाता है तब अन्य प्रभार हर बार रु. 500 से अधिक नहीं होना चाहिए।

यदि आप प्रभारों के संशोधन से सहमत नहीं हैं तो आपके पास यूनिट फंड मूल्य निकाल लेने का विकल्प होगा। यदि प्रभारों में ऐसा संशोधन 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के दौरान किया जाता है तो निकासी की अनुमति लॉक इन अवधि की समाप्ति के बाद ही होगी।

## 10. अभ्यर्पण:

पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी अभ्यर्पित की जा सकती है। अभ्यर्पण मूल्य, यदि हो, नीचे दिए अनुसार देय होगी:

**यदि पॉलिसी 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के दौरान अभ्यर्पित की जाती है:**

यदि पॉलिसी लॉक इन अवधि के 5 वर्षों के दौरान अभ्यर्पित करने के लिए आप आवेदन करते हैं तो लागू समाप्ति पर प्रभार की कटौती करने के बाद यूनिट फंड मूल्य को नीचे दिए परिच्छेद 12 के अनुसार डिस्कंटिन्युड पॉलिसी फंड में अंतरित कर दिया जाएगा।

पॉलिसी लॉक इन अवधि के अंत तक समाप्त पॉलिसी फंड में निवेशित होना जारी रहेगी। परिच्छेद 9 डी में दिए अनुसार केवल फंड प्रबंधन प्रभार (FMC) इस फंड से काटा जाएगा और इस अवधि के दौरान ऐसी पॉलिसी पर कोई जोखिम कवर (राइडर कवर, यदि हो, सहित) उपलब्ध नहीं होगा।

लॉक इन अवधि की समाप्ति पर पॉलिसी के संदर्भ में समाप्त पॉलिसी फंड की धनराशि को परिच्छेद 12.बी में दिए अनुसार, 5 वर्ष की लॉक इन अवधि की समाप्ति पर पॉलिसीधारक को अदा की जाएगी और पॉलिसी निरस्त हो जाएगी।

तथापि, अभ्यर्पण की तिथि के बाद किंतु 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के समाप्त होने से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, पॉलिसी के संदर्भ में समाप्त पॉलिसी फंड की धनराशि नामिती/लाभार्थी को देय होगी और पॉलिसी निरस्त हो जाएगी।

**यदि पॉलिसी 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के बाद अभ्यर्पित की जाती है:** यदि पॉलिसी लॉक इन अवधि के बाद अभ्यर्पित करने के लिए आप आवेदन करते हैं तो अभ्यर्पण की सूचना की तिथि के अनुसार यूनिट फंड मूल्य पॉलिसीधारक को देय होगा और पॉलिसी निरस्त हो जाएगी। पॉलिसी के अंतर्गत कोई समाप्ति पर प्रभार नहीं होगा।

इसके अलावा, 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के दौरान पॉलिसीधारक से पुनःआरंभ हेतु निवेदन मिलने के बाद भी अभ्यर्पित पॉलिसी के पुनःआरंभ की अनुमति नहीं होगी।

## 11. प्रीमियमों को रोकना:

यदि आप अनुग्रह अवधि की समाप्ति के भीतर पॉलिसी के तहत प्रीमियम अदा करने में विफल रहते हैं तो पॉलिसी समाप्त हो जाने की स्थिति में होगी।

अनुग्रह अवधि के दौरान पॉलिसी को चालू माना जाएगा और अनुग्रह अवधि के दौरान पॉलिसी के तहत देय हितलाभ वही होंगे जैसे कि चालू पॉलिसी के तहत होते हैं। मृत्यु और दुर्घटना हितलाभ कवर के लिए प्रभार, यदि हों, परिच्छेद 9 में दिए अनुसार लागू अन्य प्रभारों के अलावा काटे जाएंगे।

**समाप्त पॉलिसी का व्यवहार नीचे दिए अनुसार होगा:**

### I) यदि पॉलिसी को 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के दौरान समाप्त किया जाता है:

अनुग्रह अवधि समाप्त होने पर, परिच्छेद 9. एच में दिए अनुसार लागू समाप्ति पर प्रभार काटने के बाद यूनिट फंड मूल्य को नीचे परिच्छेद 12 में दिए अनुसार समाप्त पॉलिसी फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर और राइडर कवर, यदि हो, समाप्त हो जाएगा। समाप्ति पॉलिसी फंड से प्रति वर्ष केवल 50 बेसिस पॉइंट्स का फंड प्रबंधन प्रभार काटा जाएगा।

इस प्रकार से समाप्ति पर, आपको पहले बकाया प्रीमियम की तिथि से तीन महीने के अंदर सूचना दी जाएगी, जिसमें आपकी पॉलिसी की स्थिति और पहले बकाया प्रीमियम की तिथि से तीन वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनर्चलित करने के विकल्प के बारे में सूचित किया जाएगा।

ऐसे मामलों में

ए. यदि आप पॉलिसी पुनर्चलित करने का फैसला करते हैं और 3 वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को पुनर्चलित करने के विकल्प का उपयोग करते हैं तो पॉलिसी को नीचे दिए परिच्छेद 14.3 के अनुसार पुनर्चलित किया जाएगा।

बी. यदि पुनर्चलित करने का फैसला करते हैं लेकिन 3 वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनर्चलित नहीं करते हैं तो पॉलिसी के संदर्भ में समाप्त पॉलिसी फंड की धनराशि परिच्छेद 12.बी में दिए अनुसार पुनर्चलन अवधि के अंत में या लॉक इन अवधि के अंत में, जो भी बाद में हो, आपको देय होगी और पॉलिसी निरस्त हो जाएगी। लॉक इन अवधि के बाद समाप्त हो रही पुनर्चलन अवधि समाप्त होने के संदर्भ में, पॉलिसी पुनर्चलन अवधि के अंत तक समाप्त पॉलिसी फंड में रहेगी।

सी. यदि आप पॉलिसी को पुनर्चलित करने के विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं तो पॉलिसी जोखिम कवर और राइडर कवर, यदि हो, के बिना जारी रहेगी और पॉलिसी फंड समाप्त पॉलिसी फंड में निवेशित रहेगा। नीचे दिए परिच्छेद 12 बी के अनुसार लॉक इन अवधि की समाप्ति की तिथि के अनुसार पॉलिसी के संदर्भ में समाप्त पॉलिसी फंड की धनराशि आपको लॉक इन अवधि के अंत में अदा की जाएगी और पॉलिसी निरस्त हो जाएगी।

डी. तथापि, आपके पास किसी भी समय पॉलिसी को अभ्यर्पित करने का विकल्प है और लॉक इन अवधि के समाप्त के तिथि या परिच्छेद 12 बी में दिए अनुसार अभ्यर्पण की तिथि के अनुसार, जो भी बाद में हो, पॉलिसी के संदर्भ में समाप्त पॉलिसी फंड की धनराशि को अदा किया जाएगा और पॉलिसी निरस्त हो जाएगी।

उपरोक्त वर्णन के बावजूद, पुनर्चलन अवधि या लॉक इन अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुसार पॉलिसी के संदर्भ में समाप्त पॉलिसी फंड की धनराशि को परिच्छेद 12 बी में दिए अनुसार नामिती या लाभार्थी को अदा किया जाएगा।

### II) यदि पॉलिसी को 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के बाद समाप्त किया जाता है:

अनुग्रह अवधि की समाप्ति पर, प्रीमियम का भुगतान नहीं करने के कारण पॉलिसी को रोकने के मामले में, पॉलिसी को आंशिक चुकता पॉलिसी में रूपांतरित कर दिया जाएगा। पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमित राशि को चुकता बीमित राशि से घटाया जाएगा और यह (मूल बीमित राशि में देय प्रीमियमों की मूल संख्या के लिए अदा प्रीमियमों की कुल संख्या के अनुपात में गुणा करके

आई संख्या) के बराबर होगी। पॉलिसी राइडर कवर, यदि हो, के बिना आंशिक चुकता स्थिति में जारी रहेगी, यानी कि दुर्घटना हितलाभ कवर आंशिक चुकता पॉलिसी के तहत उपलब्ध होगा। घटा हुआ जोखिम कवर और चुकता पॉलिसी के संदर्भ में मृत्यु दर प्रभार पहले बकाया प्रीमियम की तिथि के बाद अगले पॉलिसी महीने से लागू होंगे। इसके अलावा, परिच्छेद 9 में दिए अनुसार अन्य सभी लागू प्रभार (दुर्घटना हितलाभ प्रभार छोड़कर) काटे जाने जारी रहेंगे। ऐसे समाप्ति पर, आपको पहले बकाया प्रीमियम के तिथि से तीन महीने के अंदर सूचना दी जाएगी जिसमें पॉलिसी की स्थिति और (क) पहले बकाया प्रीमियम के तिथि से तीन वर्ष की पुनर्चलन अवधि के अंदर या परिपक्वता तिथि तक, जो भी पहले हो, पॉलिसी को पुनर्चलित करने (राइडर, यदि चुना हो, के साथ) के विकल्प; या (ख) पॉलिसी की संपूर्ण निकासी की जानकारी होगी।

ऐसे मामले में, निम्नलिखित स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं:

- ए. यदि आप पुनर्चलित करने का विकल्प चुनते हैं और उसके बाद पुनर्चलन अवधि के दौरान या परिपक्वता के तिथि तक किसी भी समय पॉलिसी को पुनर्चलित करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, जो भी पहले हो, तो पॉलिसी परिच्छेद 14.3 के अनुसार पुनर्चलित की जाएगी।
- बी. यदि आप पुनर्चलित करने का फैसला करते हैं लेकिन पुनर्चलन अवधि के दौरान या परिपक्वता तिथि तक पॉलिसी को पुनर्चलित नहीं करते हैं, जो भी पहले हो, या किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं तो पॉलिसी पुनर्चलन अवधि के अंत तक या परिपक्वता के तिथि तक, जो भी पहले हो, आंशिक चुकता पॉलिसी के रूप में बरकरार रहेगी।
- सी. यदि आप किसी भी समय पूर्ण निकासी या पॉलिसी अभ्यर्पण का निर्णय करते हैं तो ऐसे मामले में यूनिट फंड में राशि लौटा दी जाएगी और पॉलिसी निरस्त हो जाएगी।
- डी. पुनर्चलन अवधि के अंत से पहले या परिपक्वता तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, जो भी पहले हो, निम्नलिखित में से उच्चतम राशि देय होगी
  - बीमित व्यक्ति की मृत्यु से तुरंत पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासियों, यदि हो, को घटाकर आई चुकता बीमित राशि (उपरोक्त परिच्छेद 4.2 में आंशिक निकासी परिभाषित है)
  - मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुसार यूनिट फंड मूल्य
  - बीमित व्यक्ति की मृत्यु से तुरंत पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासियों को छोड़कर प्राप्त कुल प्रीमियमों का 105%

## 12. पॉलिसी की धनराशि के समाप्त पॉलिसी फंड में रहने के दौरान पॉलिसी के साथ व्यवहार:

5 वर्ष की लॉक इन अवधि के दौरान यदि आप अभ्यर्पण के लिए आवेदन करते हैं या अनुकंपा अवधि की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं करने के मामले में पॉलिसी समाप्ति की स्थिति में रहेगी।

- ए. यूनिट फंड मूल्य का आर्थिक राशि में रूपांतरण और समाप्त पॉलिसी फंड में यूनिटों का आबंटन:

पॉलिसी बंद करने पर, परिच्छेद 9(एच) में उल्लेख के अनुसार लागू समाप्ति पर प्रभारों को काटने के बाद पॉलिसी बंद होने की तिथि के अनुसार यूनिट फंड मूल्य को समाप्त पॉलिसी फंड में अंतरित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर राइडर कवर सहित, यदि हो, समाप्त हो जाएगा। जहाँ, यूनिट फंड मूल्य की गणना समाप्ति की तिथि के अनुसार यूनिट फंड में यूनिटों की संख्या के साथ एनएवी का गुण करके की जाएगी।

समाप्त पॉलिसी फंड की यूनिटों की संख्या पॉलिसी बंद करने की तिथि के अनुसार समाप्त पॉलिसी फंड के एनएवी का विचार करके पॉलिसी में आबंटित की जाएगी।

## बी. समाप्त पॉलिसी फंड की धनराशि:

समाप्त पॉलिसी फंड (एसएफआईएन: ULIF001201114LICDPFNLIF512) एक अलग यूनिट फंड है और उसमें यूनिट फंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के अंतर्गत प्रदान की गई सभी पॉलिसियों के समाप्त पॉलिसी फंड शामिल होंगे। इस फंड पर परिच्छेद 9.5% में वर्णन के अनुसार केवल फंड प्रबंधन प्रभार (FMC) लागू होगा।

उपरोक्त वर्णन के अनुसार समाप्त पॉलिसी फंड में अंतरित यूनिट फंड मूल्य मृत्यु, अभ्यर्षण, पुनर्चलन, 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के अंत में या 3 वर्ष की पुनर्चलन अवधि पूर्ण होने पर पॉलिसी का निरस्तीकरण (यदि पुनर्चलन अवधि 5 वर्ष की लॉक इन अवधि से आगे बढ़ती है), जो भी पहले हो, द्वारा पॉलिसी के समाप्त पॉलिसी फंड से निकलने तक समाप्ति के तिथि से उसमें निवेशित रहेगी।

पॉलिसी के संदर्भ में समाप्त पॉलिसी फंड की धनराशि इनमें से उच्चतर होगी:

- समाप्त पॉलिसी फंड का यूनिट फंड मूल्य; या
- न्यूनतम निश्चित ब्याज दर का उपयोग करके निश्चित राशि की गणना की जाती है

जहाँ, समाप्त पॉलिसी फंड से पॉलिसी के निकासी के तिथि पर समाप्त पॉलिसी फंड के यूनिटों की संख्या के साथ एनएवी का गुणा करके यूनिट फंड मूल्य की गणना की जाएगी।

निश्चित राशि समाप्ति के तिथि से समाप्त पॉलिसी फंड से पॉलिसी की निकासी तक निश्चित दर पर समाप्त पॉलिसी फंड में अंतरित राशि का संचय है।

‘समाप्त पॉलिसी फंड’ के लिए लागू न्यूनतम निश्चित ब्याज दर विद्यमान नियमों के अनुसार होगी। वर्तमान में यह निश्चित ब्याज दर 4% प्र.व. है और यह IRDAI द्वारा घोषणा के अनुसार समय समय पर बदलाव के अधीन है।

## 13. अनिवार्य निरस्तीकरण:

यदि पॉलिसी कम से कम 5 वर्ष तक जारी रही है बशर्ते पूरे 5 वर्ष के प्रीमियम अदा किए गए हों और यूनिट फंड में शेष राशि संबंधित प्रभारों को वसूलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो पॉलिसी को अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाएगा और यूनिट फंड में शेष राशि, यदि हो, को लौटा दिया जाएगा। यह पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी के कार्यरत रहने या चुकता होने के बावजूद लागू होगा।

## 14. अन्य खूबियाँ:

- i) टॉप अप: योजना के अंतर्गत टॉप अप की अनुमति नहीं होगी।
- ii) हितलाभों में बढ़ोतरी/कमी:

योजना के अंतर्गत मूल बीमित राशि में बढ़ोतरी/कमी करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यरत पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान एलआईसी की फंड एक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को रद्द कर सकता है। तथापि, राइडर एक रद्द कर दिए जाने पर उस आगे चलकर पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता।

- iii) पुनर्चलन:

### ए. लॉक इन अवधि के दौरान समाप्त पॉलिसी का पुनर्चलन:

यदि आप पहले बकाया प्रीमियम के तिथि से 3 वर्ष की अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनर्चलित करने का विकल्प चुनते हैं तो पॉलिसी को निम्नलिखित के अधीन पुनर्चलित किया जाएगा:

- a. ब्याज के बिना सभी नियत और बकाया प्रीमियम के भुगतान पर। बकाया लागू प्रीमियम आबंटन प्रभार, और उन पर कर प्रभारों को समाप्ति के तिथि से यूनिट फंड से काटा जाएगा।
- b. पॉलिसी बंद करने के समय यूनिट फंड, यदि हो, से काटा गया समाप्ति पर प्रभार पॉलिसी के समाप्त पॉलिसी फंड, यदि हो, की धनराशि के साथ यूनिट फंड में वापस जोड़ दिया जाएगा।

### **बी. लॉक इन अवधि के बाद समाप्त पॉलिसी का पुनर्चलन:**

यदि आप पहले बकाया प्रीमियम के तिथि से 3 वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान या परिषक्ता के तिथि तक, जो भी पहले हो, पॉलिसी को पुनर्चलित करने का निर्णय करते हैं तो पॉलिसी को निम्नलिखित के अधीन पुनर्चलित किया जाएगा:

- i. ब्याज के बिना सभी नियत और बकाया प्रीमियम के भुगतान पर।
- ii. समाप्ति की तिथि से सभी बकाया लागू प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासन प्रभार और कर प्रभार को यूनिट फंड से काटा जाएगा।

निगम के पास निगम के “बोर्ड मान्य जोखिमांकन नीति” के अनुसार बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। पुनर्चलन पहले से उपलब्ध जानकारी, दस्तावेजों और रिपोर्ट्स और इस संबंध में किसी अतिरिक्त जानकारी यदि यथा आवश्यकता पुनर्चलन के समय पर “बोर्ड मान्य जोखिमांकन नीति” के अनुसार मांगने पर पॉलिसीधारक/प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि के अधीन होगा। समाप्त पॉलिसी का पुनर्चलन उसके मान्य, स्वीकृत होने और निगम द्वारा पुनर्चलन रसीद जारी करने पर प्रभावी होगा।

पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए मूलतः अलग फंड की यूनिटों या पिछली बदली में चुने अनुसार या पुनर्चलन के समय चुने गए फंड, जैसी कि स्थिति हो, को पुनर्चलन की तिथि के अनुसार एनएवी के आधार पर आबंटित किया जाएगा।

समाप्ति के तिथि से पुनर्चलन के तिथि तक निश्चित अभिवृद्धियों को पॉलिसी के पुनर्चलन के तिथि पर जमा किया जाएगा।

उपरोक्त उल्लेख के बावजूद, यदि यूनिट फंड मूल्य पुनर्चलन अवधि के दौरान प्रभारों की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है तो पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और उसके बाद पुनर्चलन की अनुमति नहीं होगी।

यदि एलआईसी का संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर चुना गया है तो उसे मूल पॉलिसी के साथ पुनर्चलित किया जा सकता है, न कि अलग से।

### **15. पुनर्स्थापना:**

अभ्यर्पित पॉलिसी की पुनर्स्थापना की अनुमति नहीं होगी। चाहे 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के दौरान पॉलिसीधारक से पुनर्स्थापन के लिए निवेदन मिला हो।

### **16. जोखिम कारक और अस्वीकरण:**

- i) एलआईसी का इंडेक्स प्लस एक यूनिट फंड जीवन बीमा उत्पाद है, जो परंपरागत बीमा उत्पादों से अलग है।
- ii) यूनिट फंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों में अदा किए गए प्रीमियम पूँजी बाजार से जुड़े निवेश जोखिमों के अधीन हैं और यूनिटों के एनएवी फंड के कार्यनिष्पादन तथा पूँजी बाजार को प्रभावित करनेवाले कारकों के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकते हैं और अपने नियर्यों के लिए बीमित जिम्मेदार है।
- iii) भारतीय जीवन बीमा निगम केवल बीमा कंपनी का नाम है और एलआईसी इंडेक्स प्लस केवल यूनिट फंड जीवन बीमा अनुबंध का नाम है और यह किसी भी तरह से अनुबंध की गुणवत्ता, उसकी भावी संभावनाओं या प्रतिफलों का संकेत नहीं करता।
- iv) कृपया संबंधित जोखिमों और लागू प्रभारों के बारे में अपने बीमा अभिकर्ता या मध्यस्थ या बीमाकर्ता के पॉलिसी दस्तावेज से जानें।
- v) ऐसा परामर्श दिया जाता है कि खरीदारी करने से पूर्व आप यह विवरणिका और अनुकूलित हितलाभ का दृष्टांत पढ़ें और समझें कि योजना क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें शामिल जोखिम क्या हैं।
- vi) इस अनुबंध के अंतर्गत प्रदान किए गए विभिन्न फंड, फंड्स के नाम हैं और किसी भी तरह से इन प्लान्स की गुणवत्ता, उनकी भावी संभावनाओं और प्रतिफलों का संकेत नहीं करते।

- vii) पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ कर कानूनों और समय समय पर लागू अन्य वित्तीय कानूनों के अधीन हैं।
- viii) आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म डी02 में आपकी पॉलिसी के अंतर्गत यूनिटों का वास्तविक मूल्य निगम की वेबसाइट ([www.licindia.in](http://www.licindia.in)) पर प्रदान किए गए एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर सुरक्षित लॉगिन के जरिए देखा जा सकता है।

## 17. पॉलिसी परिवर्तन:

अनुबंध के दौरान, प्रीमियम भुगतान पद्धति में बदलाव योजना के नियमों व शर्तों के अनुसार अनुमत न्यूनतम प्रीमियम और प्रीमियम गुणकों के प्रावधानों के अधीन है और पॉलिसी जारी करने के बाद दुर्घटना हितलाभ राइडर की अनुमति रु. 100 के फुटकर प्रभार के अधीन दी जा सकती है जिसे यूनिट फंड मूल्य से यूनिटों की उपयुक्त संख्या रद्द करते हुए काट लिया जाएगा और यह कटौती पॉलिसी में परिवर्तन के तिथि पर की जाएगी। यह परिवर्तन पॉलिसी वर्षगांठ के साथ या परिवर्तन के बाद प्रभावी होगा।

निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार पॉलिसी में परिवर्तन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। परिवर्तन केवल निगम द्वारा स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होगा और विशेष रूप से इसकी सूचना लिखित रूप में प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति को दी जाती है।

## 18. ऋण:

इस योजना के अंतर्गत कोई ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

## 19. पॉलिसी का निरस्तीकरण:

पॉलिसी निम्नलिखितमें से किसी भी घटना के पहले होने पर तुरंत और अपने आप निरस्त हो जाएगी:

- वह तिथि जब मृत्यु हितलाभ अदा किया जाता है यदि मृत्यु के लिए निपटारा विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है; या
- वह तिथि जब पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों को निपटाया गया है;
- परिपक्षता तिथि; या
- मृत्यु के मामले में यदि चुना गया है तो निपटारा विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्त के भुगतान पर; या
- निपटारा विकल्प अवधि के आरंभ होने के बाद नामिती/लाभार्थी की मृत्यु पर;
- एफ) निशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या
- जी) उपरोक्त परिच्छेद 13 में दिए अनुसार अनिवार्य निरस्तीकरण पर; या
- एच) ऊपर परिच्छेद 11 में दिए अनुसार पॉलिसी के बंद होने के मामले में; या
- आई) परिच्छेद 20 में दिए अनुसार जब्ती के मामले में।

## 20. विशिष्ट घटनाओं में जब्ती:

यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत कथन, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई वस्तुनिष्ठ जानकारी छिपाई गई है तो और ऐसे हर मामले में पॉलिसी निरस्त हो जाएगी और इस पॉलिसी के चलते किसी भी हितलाभ के लिए सभी दावे समय

समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

## 21. कर:

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य सांवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं के प्रभारों पर लगाए गए विधिक कर, यदि हों, समय समय पर प्रयोजनीय कर कानूनों और कर की दरों के अनुसार होंगे।

इस योजना के अंतर्गत अदा किए गए प्रीमियम(मों) और देय हितलाभों पर कर लाभ/ निहितार्थों के बारे में, कृपया विवरणों के लिए अपने कर सलाहकार से राय लें।

## 22. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि आप पॉलिसी के “नियमों और शर्तों” से संतुष्ट नहीं हैं तो पॉलिसी को आपत्तियों का कारण बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक या पॉलिसी दस्तावेज कागजी स्वरूप में प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अंदर, जो भी पहले हो, हमें लौटाया जा सकता है। इसकी प्राप्ति पर निगम पॉलिसी को निरस्त करेगा और राशि नीचे दिए अनुसार लौटाई जाएगी:

**निवेदन प्राप्ति की तिथि के अनुसार यूनिट फंड में यूनिटों का मूल्य**

**और** अनाबंटित प्रीमियम (प्राप्त प्रीमियम द्वारा आबंटन प्रभार में गुण करके आई राशि के बराबर)

**और** फ्री लुक का चयन करने के तिथि से उस पॉलिसी महीने के अंत तक जिसके लिए संबंधित प्रभारों को काटा गया है, से शेष अवधि के लिए आनुपातिक मृत्यु दर प्रभारों और दुर्घटना हितलाभ प्रभार, यदि हो, को काटा लिया जाएगा

**और** उस पर काटे गए कर प्रभार,

**घटाएँ** मेडिकल जॉच की वास्तविक लागत, यदि हो,

**घटाएँ** ₹. 0.20 की दर पर स्टैंप ड्यूटी प्रति हजार मूल बीमित राशि और दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि, यदि हो।

## 23. अपवर्जन:

**आत्महत्या अनुच्छेद:**

परिच्छेद 2.ए में वर्णित मृत्यु पर देय हितलाभ के प्रावधानों के बावजूद, आत्महत्या के कारण मृत्यु के मामले में दावे के भुगतान से संबंधित प्रावधान नीचे दिए अनुसार शर्तों के अधीन होंगे:

- पॉलिसी के आरंभ के तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन के तिथि से 12 महीने के अंदर आत्महत्या के कारण मृत्यु के मामले में, पॉलिसीधारक के नामिती या लाभार्थी को मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की सूचना के तिथि पर उपलब्ध यूनिट मूल्य पाने का अधिकार होगा। निगम इस पॉलिसी के गुण द्वारा किसी भी अन्य दावे परविचार नहीं करेगा और पॉलिसी निरस्त हो जाएगी।
- फंड प्रबंधन प्रभार के अलावा कोई प्रभार और उस पर लगाया गया कर और मृत्यु की तिथि के बाद एफएमसी पर लगाए गए कर प्रभारों को मृत्यु की सूचना के तिथि पर उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य में फिर से जोड़ दिया जाएगा।
- मृत्यु की तिथि के बाद जोड़ी गई किसी भी निश्चित अभिवृद्धि को यूनिट फंड से वसूला जाएगा।

यह अनुच्छेद पुनर्चलन पर बीमित व्यक्ति की प्रवेश आयु 8 वर्ष से कम होने के मामले में लागू नहीं होगा और परिच्छेद 2. ए में वर्णित मृत्यु हितलाभ देय होगा।

## 24. हितलाभ के नमूने का उदाहरण:

उदाहरण:

बीमित व्यक्ति की आयु	30
पॉलिसी अवधि	25
प्रीमियम भुगतान पद्धति	अर्ध-वार्षिक
प्रीमियम (₹.)	50,000
मूल बीमित राशि (₹)	10,00,000
खरीदारी का माध्यम	ऑफलाइन
फंड का प्रकार	फ्लेक्सी ग्रोथ फंड

योजना के अंतर्गत हितलाभ:

	हितलाभ 4% प्र.व. की दर पर (₹)	हितलाभ 8% की दर पर (₹)
कुल परिपक्वता हितलाभ (फंड मूल्य)	32,61,345	56,78,503
निवल अर्जन: 6.30%		

			हितलाभ 4% प्र.व. की दर पर (₹)	हितलाभ 8% की दर पर (₹)		
पॉलिसी अवधि का अंत (वर्ष)	संचित प्रीमियम (₹.)	निश्चित अभिवृद्धियाँ (₹.)	फंड मूल्य (₹.)	मृत्यु हितलाभ (₹.)	फंड मूल्य (₹.)	मृत्यु हितलाभ (₹.)
6	6,00,000	5,000	5,99,947	10,00,000	6,80,716	10,00,000
10	10,00,000	10,000	10,60,743	10,60,743	13,07,764	13,07,764
15	15,00,000	20,000	17,07,366	17,07,366	23,46,412	23,46,412
20	20,00,000	25,000	24,35,514	24,35,514	37,57,282	37,57,282
25	25,00,000	30,000	32,61,345	32,61,345	56,78,503	56,78,503

### अस्वीकरण

- यह उदाहरण ऑफलाइन खरीदी गई पॉलिसी के लिए धूम्रपान नहीं करनेवाले पुरुष/महिला के मानक जीवन के लिए लागू है (चिकित्सीय, जीवनशैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से), जिसमें एलआईसी की फंड एक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का चयन नहीं किया गया है।
- इस लाभ के उदाहरण में ऐसा माना गया है कि अनुमानित निवेश प्रतिफल की दर जो एलआईसीआई पॉलिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान अर्जित करने में सक्षम होगी वह है 4% प्र.व. या 8% प्र.व. जैसी भी स्थिति हो। अनुमानित निवेश की प्रतिफल की दर की कोई गारंटी नहीं है और वे आपको मिल सकनेवाली राशि की ऊपरी या निचली सीमाएँ नहीं हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भावी निवेश कार्यनिष्ठादान सहित अनेक कारकों पर निर्भर होता है।
- उपरोक्त उदाहरण 18% का विद्यमान कर प्रभार (जीएसटी) मानकर दिया गया है जो समय समय पर बदलाव के अधीन है।
- उदाहरण का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राहक उत्पाद की खूबियों और विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभ के प्रवाह को परिमाणीकरण के कुछ स्तर के साथ समझने में सक्षम हो।
- एलआईसी 4% और 8% की उपरोक्त उदाहरण की दर को छोड़कर, अपने अभिकर्ताओं/मध्यस्थी, कर्मचारियों और अधिकारियों को “ULIP” फंड के भावी कार्यनिष्ठादान पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।

समय समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(1) जीवन बीमा की कोई पॉलिसी उसके जारी किए जाने के तिथि से यानी पॉलिसी जारी करने के तिथि से या जोखिम आरंभ के तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन के तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर के तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए नहीं बुलाई जानी चाहिए।

(2) पॉलिसी जारी करने के तिथि या जोखिम आरंभ के तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन के तिथि से या पॉलिसी के राइडर के तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के अंदर किसी भी समय पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते बीमाकर्ता ने लिखित रूप में बीमित या विधिक प्रतिनिधि या नामितियों या बीमित के समनुदेशिती को लिखित रूप में सूचित किया हो जिस पर यह निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण 1 – इस उप-विभाग के प्रयोजन हेतु, अभिव्यक्ति “धोखाधड़ी” का अर्थ है बीमित या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को झांसा देने के इरादे से किए गए निम्नलिखित में से कोई कृत्य या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए उकसाने हेतु किया गया कोई कृत्य:-

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II – केवल मौन रहना जब तक धोखाधड़ी, जब तक मामले की परिस्थितियों के आधार पर, बोलने से मौन रहना बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य है या मौन रहना अपने आप में बोलने के समकक्ष हो।

(3) उपविभाग (2) में निहित किसी भी विषय के बावजूद, किसी भी बीमाकर्ता द्वारा किसी जीवन बीमा पॉलिसी का परित्याग धोखाधड़ी के आधार पर नहीं किया जाएगा, यदि बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि गलत-बयानी उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य थी और उस तथ्य को दबाकर रखने की कोई जान-बूझकर मंशा नहीं थी या उस महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत-बयानी या उसे दबाकर रखना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, पॉलिसीधारक के जीवित नहीं रहने पर असत्य का खंडन करने का दायित्व लाभार्थियों पर होता है।

स्पष्टीकरण – व्यक्ति जो बीमा के अनुबंध का आग्रह और बातचीत करता है, को बीमाकर्ता का अभिकर्ता बनने हेतु अनुबंध करने के प्रयोजन के लिए माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर तीन वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति की जीवन की प्रत्याशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या उसकी गलत-बयानी उस प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज में गलत रूप से की गई थी, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था:

इसके लिए, बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को, जैसा लागू हो, लिखित में सूचना देनी चाहिए, जिसमें उस आधार या सामग्रियों का उल्लेख हो, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी का परित्याग करने का निर्णय लिया गया है।

यह भी बताया जाता है कि गलत बयानी या महत्वपूर्ण तथ्य के दमन के आधार पर, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, परित्याग के तिथि तक पॉलिसी पर संग्रहित प्रीमियमों को बीमित बीमित के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे परित्याग के तिथि से

नबे दिन की अवधि के अंदर अदा किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण-** इस उप-विभाग के प्रयोजनों के लिए, गलत बयानी या तथ्य के दमन को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक वह बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जाखिम पर प्रत्यक्ष भार न डालता हो। यह दर्शने का कर्तव्य बीमाकर्ता का है, कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

- (5) इस विभाग में कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से नहीं रोकेगा यदि उसे ऐसा करने का अधिकार हो, और किसी भी पॉलिसी पर प्रश्नचिन्ह केवल इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि पॉलिसी की शर्तों को, प्रस्ताव में बीमित व्यक्ति द्वारा अपनी आयु गलत दर्शने के कारण समायोजित करना पड़ा था।

#### **समय समय पर संशोधन के अनुसार रियायतों की निषिद्धता (बीमा कानून 1938 की धारा 41):**

- 1) किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को भारत में आजीवन या संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा नवीनीकृत करवाने या जारी रखने के लिए देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी पर दर्शाएं प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति या प्रलोभन नहीं देना चाहिए, और न ही कोई पॉलिसी लेने या नवीनीकरण करवाने वाले किसी व्यक्ति को कोई रियायत स्वीकार करनी चाहिए, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित प्रॉस्पेक्ट्स या तालिकाओं के अनुसार अनुमत हो सकती है।
- 2) इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने का हकदार होगा जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी के लिए लागू समय समय पर संशोधित बीमा कानून, 1938 की विभिन्न धाराएँ लागू होंगी।

यह उत्पाद विवरणिका केवल योजना की मुख्य विशेषताएँ देता है। अधिक विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर पॉलिसी दस्तावेज पढ़ें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने के लिए कृपया [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर लॉग ऑन करें।

#### **कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।**

IRDAI बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

### भारतीय जीवन बीमा निगम

“भारतीय जीवन बीमा निगम” की स्थापना 1 सितंबर 1965 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के विरुद्ध पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय जीवन बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।



भारतीय जीवन बीमा निगम  
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालय:  
**भारतीय जीवन बीमा निगम**  
केंद्रीय कार्यालय,  
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.  
वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)  
पंजीकरण संख्या: 512